



(☎022-22862703)

ई-मेल e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स Fax No. - 2204 8476
& 22824354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई Mumbai - 400001

सं. No. 7/3/2017/IR&W/ 15103

दिसंबर December 4, 2018

कार्यालय जापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस कार्ड की दूसरी प्रतिलिपि जारी करने हेतु रिकवरी शुल्क के संबंधमें।

Sub : Recovery charges for issuing duplicate CHSS cards

सीएचएसएस के अनुच्छेद 17.4 के अनुसार, पञ्चवि के दिनांक 30.3.2016 के कार्यालय जापन सं. 7/4/2015/आईआरएंडडब्ल्यू/4342 के अंतर्गत कार्ड के गुमजाने, न मिलने और कट-फट जाने (सदस्यता के जारी न रहने पर कार्ड को न जमा करने सहित) पर सीएचएसएस कार्ड को फिर से जारी करने के लिए शुल्क स्वरूप राशि ली जाएगी।

In term of Clause 17.4 of CHSS, the amount to be charged for re-issue of CHSS cards, in case the card is lost (including non-surrender of the cards on discontinuance of the membership), misplaced and mutilated, was revised vide DAE OM no. 7/4/2015/IR&W/4342 dated 30.3.2016.

2. विभागीय परिषद की बैठक में स्टाफ साइड से पञ्चवि के दिनांक 30.3.2016 के कार्यालय जापन के द्वारा सीएचएसएस कार्ड की दूसरी प्रतिलिपि जारी करने हेतु अधिसूचित दरों की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया। सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर विभाग में सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद अब तत्काल प्रभाव से निम्नवत शुल्क संशोधित करनेका निर्णय लिया गया है:

Request has been received from the staff side in DC meetings to review the rate notified for issue of duplicate CHSS cards vide DAE OM dated 30.3.2016. After careful consideration in the Department, based on the recommendations of the CHSS Review Committee, it has now been decided to revise the charges with immediate effect as follows :

सं. No.	विवरण Particulars	शुल्क Charges
1.	सीएचएसएस कार्ड का गुमना (सदस्यता के जारी न रहने पर कार्ड को न जमा करने सहित) अथवा न मिलना। Loss of CHSS card (including non-surrender of cards on discontinuance of membership) or misplacement. * पुलिस में दर्ज शिकायत की एक प्रतिआवेदन के साथ संलग्न की जाए। A copy of the police complaint lodged has to be accompanied with the application	₹300/-
2.	कार्ड के जारी होने के 5 वर्षों के भीतर कार्ड के कट-फट जाने पर Mutilated CHSS Card, within a period of 5 years of its issue	₹250/-
3.	कार्ड के जारी होने के 5 वर्षों के बाद कटे-फटे सीएचएसएस कार्ड (पेपरकार्ड) हेतु Mutilated CHSS Card (paper card), after a period of 5 years of its issue	शून्य NIL

इसे सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This is issued with the approval of Secretary, DAE.



(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सभी सीएचएसएस के प्रशासनिक प्राधिकारी
All CHSS Administering Authorities :